Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

135-2021/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 19, 2021 (SRAVANA 28, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 19th August, 2021

No. 25-HLA of 2021/70/21453.— The Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2021is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 25- HLA of 2021

THE HARYANA GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint different dates for commencement of different provisions of this Act.

Amendment of section 7 of Haryana Act 19 of 2017.

2. After clause (a) of sub-section (1) of section 7 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

"(aa) the activities or transactions, by a person, other than an individual, to its members or constituents or vice-versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration.

Explanation.- For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions inter se shall be deemed to take place from one such person to another.".

Amendment of section 16 of Haryana Act 19 of 2017.

3. After clause (a) of sub-section (2) of section 16 of the principal Act, the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;".

Amendment of section 35 of Haryana Act 19 of 2017.

4. Sub-section (5) of section 35 of the principal Act shall be omitted.

Substitution of section 44 of Haryana Act 19 of 2017.

5. For section 44 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"44. Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner, as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section:

Provided further that nothing contained in this section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.".

Amendment of section 50 of Haryana Act 19 of 2017.

6. For the proviso to sub-section (1) of section 50 of the principal Act, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger.".

Amendment of section 74 of Haryana Act 19 of 2017.

7. In clause (ii) of the Explanation 1 to section 74 of the principal Act, for the words, figures and signs "sections 122, 125, 129 and 130", the words and figures "sections 122 and 125" shall be substituted.

Amendment of section 75 of Haryana Act 19 of 2017.

8. In sub-section (12) of section 75 of the principal Act, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39.".

Amendment of section 83 of Haryana Act 19 of 2017.

9. For sub-section (1) of section 83 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of section 122, in such manner, as may be prescribed.".

Amendment of section 107 of Haryana Act 19 of 2017.

10. In sub-section (6) of section 107 of the principal Act,-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of section 129, unless a sum equal to twenty-five percent of the penalty has been paid by the appellant.".

11. In section 129 of the principal Act,- Amendment of section 129 of Haryana Act 19 of 2017.

(i) for clauses (a) and (b) of sub-section (1), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(a) on payment of penalty equal to two hundred percent of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two percent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;

(b) on payment of penalty equal to fifty percent of the value of the goods or two hundred percent of the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five percent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;";

(ii) sub-section (2) shall be omitted;

(iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or clause (b) of sub-section (1).";

(iv) in sub-section (4), for the words and sign "No tax, interest or penalty", the words "No penalty" shall be substituted;

(v) for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (3):

Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less:

Provided further that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.".

12. In section 130 of the principal Act,- Amendment of section 130 of Haryana Act 19 of 2017.

(a) in sub-section (1), for the words "Notwithstanding anything contained in this Act, if", the word "Where" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), in the second proviso, for the words, brackets and figures "amount of penalty leviable under sub-section (1) of section 129", the words "penalty equal to hundred percent of the tax payable on such goods" shall be substituted;

(c) sub-section (3) shall be omitted.

13. For section 151 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 151 of Haryana Act 19 of 2017.

"151. Power to call for information.- The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form and in such manner, as may be prescribed.".

14. In section 152 of the principal Act,- Amendment of section 152 of Haryana Act 19 of 2017.

(a) in sub-section (1),-

(i) the words "of any individual return or part thereof" shall be omitted;

(ii) after the words "any proceedings under this Act", the words "without giving an opportunity of being heard to the person concerned" shall be added;

(b) sub-section (2) shall be omitted.

15. Paragraph 7 of Schedule II of the principal Act shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017. Amendment of Schedule II to Haryana Act 19 of 2017.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State Government.

2. It is proposed to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 to remove the difficulties being faced by the taxpayers. The amendment Bill proposes to remove the mandatory requirement of getting annual accounts audited and filing of reconciliation statement by specified professional and to provide for filing of such statement on self-certification basis. Further, the Act is being amended to provide for charging of interest on net cash liability and to call for information from any person relating to any matters dealt with in connection with the Act.

3. The proposed Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2021, *inter alia,* provides for the following, namely:—

(i) to insert clause (aa) in sub-section (1) of section 7 of the Act, with effect from the 1st July, 2017, so as to ensure levy of tax on activities or transactions involving supply of goods or services by any person, other than an individual, to its members or constituents or vice-versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration;

(ii) to omit sub-section (5) of section 35 of Act so as to remove the mandatory requirement of getting annual accounts audited and the reconciliation statement submitted by specified professional;

(iii) to substitute a new section for section 44 of the Act so as to remove the mandatory requirement of furnishing a reconciliation statement duly audited by specified professional and to provide for filing of the annual return on self-certification basis;

(iv) to substitute the proviso to sub-section (1) of section 50 of the Act so as to charge interest on net cash liability with effect from the 1st July, 2017;

(v) to insert an Explanation in sub-section (12) of section 75 of the Act that "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39;

(vi) to amend section 129 of the Act so as to delink the proceedings under that section relating to detention, seizure and release of goods and conveyances in transit, from the proceedings under section 130 relating to confiscation of goods or conveyances and levy of penalty;

(vii) to amend section 130 of the Act, so as to delink the proceedings under that section relating to confiscation of goods or conveyances and levy of penalty from the proceedings under section 129 relating to detention, seizure and release of goods and conveyances in transit;

(viii) to substitute section 151 of the Act so as to empower the jurisdictional commissioner to call for information from any person relating to any matters dealt with in connection with the Act.

4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the Introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh:
The 19th August, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

Financial Memorandum

The proposed Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2021 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of State.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 25–एच0एल0ए0

हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।

(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के प्रारम्भ हेतु भिन्न–भिन्न तिथियां नियत कर सकती है।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 7 का संशोधन।

2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा तथा जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :–

"(कक) किसी व्यक्ति, जो किसी व्यष्टि से भिन्न है, द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्येन से नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार।

व्याख्या.– इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक् व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर ऐसे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए समझे जाएंगे।''।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 16 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (2) के खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(कक) खण्ड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदाय के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं।''।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 35 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 35 की उप–धारा (5) का लोप कर दिया जाएगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 44 का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"44. इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, से भिन्न, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित प्रदाय के मूल्य को सुमेलित करते हुए एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकता है :

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट दे सकता है :

परन्तु यह और कि इस धारा में दी गई कोई बात, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकरण को लागू नहीं होगी, जिनकी लेखा–बहियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकरणों के लेखों की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्यधीन हैं।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 50 की उप–धारा (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा और जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :– 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 50 का संशोधन।

"परन्तु, धारा 39 के उपबंधों के अनुसार किसी कर अवधि के दौरान किए गए प्रदायों के संबंध में और शोध्य तिथि के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित भुगतानयोग्य कर पर ब्याज, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए भुगतानयोग्य होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर से विकलन करके भुगतान किया जाता है।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 74 की व्याख्या 1 के खण्ड (पप) में, "धारा 122, 125, 129 और 130" शब्दों, अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, "धारा 122 तथा 125" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 74 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 75 की उप–धारा (12) में, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात् :– 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 75 का संशोधन।

"व्याख्या.– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्वनिर्धारित कर" शब्द में, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरों के संबंध में भुगतानयोग्य कर सम्मिलित होगा, किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।"।

9. मूल अधिनियम की धारा 83 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 83 का संशोधन।

"(1) जहां, अध्याय ग्प्, अध्याय ग्प्ट या अध्याय ग्ट के अधीन किसी कार्यवाही के आरम्भ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में धारा 122 की उप–धारा (1क) में विनिर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति से संबंधित बैंक खाता सहित किसी संपत्ति, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकता है।"।

10. मूल अधिनियम की धारा 107 की उप–धारा (6) में, – 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 107 का संशोधन।

(i) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील तब तक दायर नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलार्थी द्वारा शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान न कर दिया गया हो।"।

11. मूल अधिनियम की धारा 129 में, – 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 129 का संशोधन।

(i) उप–धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"(क) ऐसे माल पर भुगतानयोग्य कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के भुगतान पर और, छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की किसी राशि या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के भुगतान पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के भुगतान के लिए आगे आता है ;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर भुगतानयोग्य कर का दो सौ प्रतिशत के भुगतान पर, जो भी अधिक हो, और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर की किसी राशि या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के भुगतान पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के भुगतान के लिए आगे नहीं आता है ;";

(ii) उप–धारा (2) का लोप किया जाएगा ;

(iii) उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(3) माल या वाहनों को निरूद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, निरोध या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर भुगतानयोग्य शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा, और तत्पश्चात्, उप–धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन शास्ति के भुगतान के लिए नोटिस की तामील की तिथि से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।";

(iv) उप–धारा (4) में, ''कर, ब्याज या शास्ति'' शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''शास्ति'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(v) उप–धारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त करने की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर उपधारा (1) में यथा उपबंधित शास्ति की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरूद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जिसे विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा :

परन्तु परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति या एक लाख रूपए, जो भी कम हो, का भुगतान करने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां निरूद्ध या अभिगृहीत किया गया माल नश्वर या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास की संभावना है, तो समुचित अधिकारी द्वारा, उक्त पन्द्रह दिन की अवधि कम की जा सकती है।''।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 130 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 130 में, –

(क) उपधारा (1) में, ''इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि'' शब्दों के स्थान पर, ''जहां'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप–धारा (2) में, द्वितीय परन्तुक में, ''धारा 129 की उप–धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की राशि'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर,''ऐसे माल पर भुगतानयोग्य कर के सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उप–धारा (3) का लोप किया जाएगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 151 का प्रतिस्थापन।

13. मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''151. सूचना मांगने की शक्ति.– आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस अधिनियम के संबंध में किसी मामले के निपटान के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकता है।''।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 152 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 152 में, –

(क) उपधारा (1) में, –

(i) ''एकल विवरणी या उसके भाग की'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) ''ऐसी सूचना'' शब्दों के पश्चात् ''संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना'' शब्द जोड़े जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की अनुसूची II का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 7 का लोप कर दिया जाएगा और जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से लोप किया गया समझा जाएगा।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था।

2. करदाताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है। संशोधन विधियक में अधिनियम में विनिर्दिष्ट वृत्तिक द्वारा वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा और सुमेलन विवरण दाखिल करने की अनिवार्य आवश्यकता को हटाने और स्व–प्रमाणन के आधार पर इस तरह के विवरण को दाखिल करने का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अलावा, शुद्ध नकद देयता पर ब्याज वसूलने के लिए और अधिनियम के संबंध में किन्हीं विषयों से संबंधित किसी भी व्यक्ति से जानकारी मांगने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

3. प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए प्रदान करता है, अर्थात्:–

(i) किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्ययेन को नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफलों के लिए माल या सेवाओं को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों या संव्यवहारों पर कर उद्ग्रहण को सुनिश्चित किए जा सकने के लिए अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) में प्रथम जुलाई, 2017 से खण्ड़ (कक) का रखा जाना;

(ii) वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा कराने और विनिर्दिष्ट वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत सुमेलन विवरण की अनिवार्य अपेक्षा को समाप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 35 की उप–धारा (5) का लोप किया जाना;

(iii) विनिर्दिष्ट वृत्तिक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित सुमेलन विवरण को प्रस्तुत करने की अनिवार्य अपेक्षा को समाप्त करने के लिए और स्वप्रमाणन के आधार पर वार्षिक विवरणी फाईल करने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम की धारा 44 को नई धारा से प्रतिस्थापित करना;

(iv) शुद्ध नकद दायित्व पर ब्याज प्रभारित करने के लिए अधिनियम की धारा 50 की उप–धारा (1) के परंतुक को प्रथम जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित करना;

(v) ''स्वनिर्धारित कर'' के अंतर्गत धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरों के सम्बन्ध में संदेय कर सम्मिलित होगा, किन्तु जो धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं है, को स्पष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 75 की उप–धारा (12) में व्याख्या का रखा जाना;

(vi) अभिवहन में माल और प्रवहण के निरूद्ध किए जाने, अभिग्रहण और निर्मुक्त किए जाने से संबंधित धारा 129 के अधीन कार्यवाहियों को माल या प्रवहणों की जब्ती और शास्ति के उद्ग्रहण से संबंधित धारा 130 के अधीन कार्यवाहियों से असंबद्ध करने के लिए अधिनियम की धारा 129 में संशोधन करना;

(vii) अभिवहन में माल और प्रवहण के निरूद्ध किए जाने, अभिग्रहण और निर्मुक्ति से संबंधित धारा 129 के अधीन कार्यवाहियों से माल या प्रवहणों की जब्ती और शास्ति के उद्ग्रहण से संबंधित धारा 130 के अधीन कार्यवाहियों को असंबद्ध करने के लिए अधिनियम की धारा 130 में सं ाोधन करना;

(viii) अधिकारिता रखने वाले आयुक्त को इस अधिनियम के संबंध में कार्यवाही करने के लिए किन्हीं विषयों से संबंधित किसी व्यक्ति से सूचना मांगने के लिए स ाक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 151 को प्रतिस्थापित करना।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

दुष्यंत चौटाला,
उप–मुख्यमन्त्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 19 अगस्त, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 में राज्य की समेकित निधि से आवर्ती या गैर आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

9288—H.V.S.—H.G.P., Pkl.